



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2133]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 2133]

NEW DELHI, WEDESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

**का.आ. 2820(अ).**—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, इसके संशोधनों सहित, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के 66/2-8 कि.मी. पर शिवनाथ नदी पर 2 लेन के पुल के उपयोग के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) यांत्रिक वाहनों पर शुल्क संग्रहीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राधिकृत किया है।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2015 को एतद्वारा निरस्त करती है।

[फा. सं. भाराराप्रा/सीओ/13-14/शिवनाथ पुल (नंदघाट)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2016

**S.O. 2820(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and its amendments, the Central Government by notification number S.O. 1097(E), dated 24th April, 2015 of the Government of India has authorized

---

National Highways Authority of India to collect fee on mechanical vehicles for the use of 2 lane bridge at Nandghat across Shivnath river at km. 66/2-8 of National Highway No. 200 in the State of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the “said section”).

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 1097(E) dated 24th April, 2015.

[F. No. NHAI/ CO / 13-14/ Shivnath Bridge (Nandghat)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.